झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–558 वर्ष 2017

1. उर्सुला खलखो, पत्नी–श्री अंब्रोश एक्का, निवासी–खालीजोर भट्टाटोली, डाकघर–कुर्देग, थाना–कुर्देग, जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

2. जुलिता सोरेंग, पत्नी–मरियानुश टेटे, निवासी–डुम्बरटोली, सिमडेगा, डाकघर, थाना एवं जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

3. लेबनार्ड कुजूर, पे0–श्री सिलबानुश कुजूर, निवासी–बागचट्टा, डाकघर–खिंडा, खलियाटोली, थाना–कुर्देग, जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

4. सैमुएल हेरेंज, पे0–स्वर्गीय बेंजामिन हेरेंज, निवासी ग्राम–रोमजोल, डाकघर–बांकी, थाना–बानो, जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

5. सिस्टर खिरिस्टिना सुरीन, पुत्री–स्वर्गीय अल्वीश सुरीन, निवासी– ढोधरूबारू, डाकघर–राज आनंदपुर, थाना–मनोहरपुर, जिला–सिंहभूम पश्चिम, झारखण्ड।

6. निकोलस कन्डुलना, पे0–स्वर्गीय मोदी कन्डुलना, निवासी ग्राम–साहुबेरा, डाकघर–हाटिनघोर, थाना–बानो, जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

7. जोहानी बारा, पत्नी–विक्टर कुजूर, निवासी ग्राम–दाहु तान, सड़क टोली, डाकघर–पालकोट, थाना–पालकोट, जिला–गुमला, झारखण्ड। .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची, झारखण्ड के माध्यम से।

2. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची, झारखण्ड।

3. जिला शिक्षा अधीक्षक, डाकघर, थाना और जिला–सिमडेगा, झारखण्ड।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री के0एस0 नंदा, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिएः– ए0जी0 का जे0सी0

02/14.02.2017 यह बताया गया है कि सहायक शिक्षक के रूप में प्रतिवादी–आर0सी0 गर्ल्स प्राइमरी/मध्य विद्यालय, कुर्देग/बनबीरा/मिचुटोली/महुआटोली/बोकामारा, सिमडेगा की सेवाओं से याचिकाकर्ता संख्या 1 31.10.2016 को सेवानिव्त्त हुए, याचिकाकर्ता सं0–2 31.08.2016 को सेवानिवृत्त हुए, याचिकाकर्ता सं0–3 31.10.2016 को सेवानिवृत्त हुए, याचिकाकर्ता सं0–4 30.06.2010 को सेवानिवृत्त हुए, याचिकाकर्ता सं0–5 31.03.2011 को सेवानिवृत्त हुए, याचिकाकर्ता सं0–6 31.01.2011 को सेवानिवृत्त हुए और याचिकाकर्ता सं0–7 30.06.2008 को सेवानिवृत हुए। विचाराधीन स्कूल एक गैर–सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है। उन्हें महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है।

2. वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्त्ताओं की शिकायत उसके बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होनें यह भी कहा है कि अन्य सेवानिवृत्ति के बाद देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और

राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

3. याचिकाकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि हालांकि, याचिकाकर्त्ताओं के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू0पी0 (एस) सं0 506/2013 मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एवं अन्य अनुरूप मामले में पारित निर्णय जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किया गया है, के मद्देनजर अब इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीभ टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607/2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त पारित निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, के मद्देनजर याचिकाकर्त्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

4. उत्तरदाता–राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि गैर–सरकारी/सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

5. पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3 को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि

याचिकाकर्त्ताओं से संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांचके बाद उनके छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6. तद्नुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)